

2026:AHC-LKO:5147-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 593/2026

मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड, सचिव
राम रतन के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
के माध्यम से एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	नरविंद कुमार सिंह, दीपक यादव
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., दिलीप कुमार पांडेय

न्यायालय सं. - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरविंद कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने यहाँ ग्राम नौनेर, परगना- हरगाँव, तहसील और जिला- सीतापुर में स्थित गाटा संख्या 1343 में स्थित तालाब के संबंध में उसे आवंटित मत्स्य पालन अधिकारों के वार्षिक पट्टा किराए की बकाया राशि की वसूली के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. तर्क यह है कि यद्यपि वह नीलामी में उच्चतम बोलीदाता था और अपनी बोली स्वीकार होने के अनुपालन में उसने एक वर्ष का वार्षिक किराया भी जमा कर दिया था, लेकिन न तो उसके पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया गया और न ही उसे तालाब का कब्जा दिया गया। इसलिए, उसने कभी भी वहां मत्स्य पालन के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, अतः वसूली सूचना में उल्लिखित राशि की मांग अवैध और अनुचित है। उन्होंने इस संबंध में 28.11.2025 को जिलाधिकारी, सीतापुर को पहले ही प्रत्यावेदन दे दिया है।
4. मामले के तथ्यों को देखते हुए, जिलाधिकारी, सीतापुर इस मामले की जांच कराएं कि क्या याचिकाकर्ता की बोली स्वीकार होने के परिणामस्वरूप उसे तालाब का कब्जा सौंपा गया था या नहीं। यदि नहीं, तो याचिकाकर्ता से पट्टा किराए की मांग कैसे की जा रही है, इसके पश्चात, तहसीलदार सदर, सीतापुर द्वारा जारी विवादित वसूली सूचना के अंतर्गत याचिकाकर्ता की देयता के संबंध में मामले में उचित निर्णय लें।
5. उपरोक्त प्रक्रिया इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाए।
6. तब तक, यानी जब तक जिलाधिकारी/कलेक्टर, सीतापुर द्वारा उपरोक्त निर्णय नहीं ले लिया जाता, विवादित नोटिस के अंतर्गत वसूली को प्रभावी नहीं किया जाएगा।
7. यह आदेश जिलाधिकारी/कलेक्टर, सीतापुर द्वारा निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने और वास्तविक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पारित किया जा रहा है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आधिकारिक विरोधी पक्षगण द्वारा उपरोक्त विवादक पर राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को कोई निर्देश प्रदान नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

22 जनवरी, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।